भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1960
उत्तर देने की तारीख-05/08/2026

तेलंगाना में नये केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय

1960 **श्री रविचंद्र वद्दीराजू:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना में नये केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है;
(ख) राज्य विश्वविद्यालयों, विशेषकर हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय और उस्मानिया विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) क्या आदिलाबाद जैसे जनजातीय बहुल क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में डिजिटल कक्षाओं का विस्तार किया जा रहा है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): नए केंद्रीय विद्यालय (केवि) खोलना एक सतत् प्रक्रिया है। केवि देशभर में शिक्षा का एक समान कार्यक्रम प्रदान करने हेतु मुख्य रूप से केन्द्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों सहित रक्षा और अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (आईएचएल) के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए केवि खोलने के प्रस्तावों को भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किया जा सकता है, जिसमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) के मानदंडों के अनुसार एक नया केवि स्थापित करने के लिए नि:शुल्क अपेक्षित भूमि और उपयुक्त किराया मुक्त अस्थायी आवास उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता शामिल होती है।

भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2025 में तेलंगाना राज्य के 04 केवि सहित 57 नए केवि संस्वीकृत किए गए। वर्तमान में, तेलंगाना राज्य में 36 केवि कार्यात्मक हैं।

नवोदय विद्यालय योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय (नवि) खोलने की परिकल्पना की गई है। नए नवोदय विद्यालय खोलना एक सतत् प्रक्रिया है, जो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की इच्छा पर निर्भर करती है कि वे स्थायी भवन के निर्माण के लिए आवश्यक उपयुक्त भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराए और विद्यालय को चलाने के लिए किराए मुक्त आवश्यक अस्थायी भवन उपलब्ध कराए जब तक कि स्थायी भवन का निर्माण नहीं हो जाता। नए नवोदय विद्यालयों का अनुमोदन और खोलना सक्षम प्राधिकारी द्वारा मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदन पर निर्भर करता है। वर्तमान में, तेलंगाना के 16 जिलों में 16 नवि स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 15 नवि कार्यात्मक हैं।

(ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है। एनईपी 2020 में कार्यान्वयन के लिए विभिन्न समय-सीमाएं, सिद्धांत और कार्यप्रणाली हैं। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण, अधिकांश शैक्षिक संस्थान राज्यों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, शिक्षा से संबंधित मंत्रालय, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के नियामक और कार्यान्वयन निकाय जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उस्मानिया विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय सहित केंद्रीय विश्वविद्यालय/कॉलेजों/स्कूलों आदि ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए पहलें की गई हैं।

उच्चतर शिक्षा में, अवर स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या और क्रेडिट फ्रेमवर्क जैसे दिशानिर्देशों/विनियमों के साथ राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ); उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रम बहु प्रवेश और निकास; उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को बहु-विषयक संस्थाओं में परिवर्तित करना; एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम करना; प्रत्येक छात्र की स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (एपीएएआर आईडी) जो पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक उनकी शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए आजीवन पहचान के रूप में कार्य करेगी; मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना की शुरुआत के साथ एक सरल, पारदर्शी व विद्यार्थी-अनुकूल और पूर्णत: डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण को सक्षम बनाना; ओडीएल/ऑनलाइन शिक्षा का संशोधित विनियमन; स्वयम प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% तक क्रेडिट की अनुमति; विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित मौजूदा जनशक्ति का कौशलोन्नयन और पुनः कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से नए स्वयम प्लस पोर्टल का शुभारंभ; समर्थ के माध्यम से प्रवेश से लेकर डिग्री प्रदान करने तक उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के प्रशासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण; उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस संबंधी

दिशानिर्देश; भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में विदेश से छात्रों को प्रवेश देने हेतु अतिरिक्त सीटों के लिए दिशानिर्देश; अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय एचईआई की बढ़ती प्रतिष्ठा; शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करना आदि जैसी विभिन्न पहल/सुधार किए गए हैं।

एनईपी कार्यान्वयन के लिए जागरूकता पैदा करने और नवीन विचारों पर चर्चा करने के लिए, समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थाओं, अन्य हितधारकों के साथ कार्यशालाओं/परामर्श-सह-समीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है।

(ग): समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्मार्ट कक्षा घटक में कक्षा VI से XII वाले सरकारी स्कूल शामिल हैं। इस घटक के तहत, इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड/डिस्प्ले यूनिट, ऑपरेटिंग सिस्टम, एलसीडी/एलईडी/प्लाज्मा स्क्रीन, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप/टैबलेट/डेस्कटॉप आदि सहित स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए जनजातीय क्षेत्रों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्मार्ट कक्षाओं (प्रति स्कूल 2 स्मार्ट कक्षाएं) हेतु अनावर्ती अनुदान ₹2.40 लाख है और आवर्ती अनुदान ₹38,000 (ई-कंटेंट, डिजिटल संसाधन और बिजली का खर्च सहित) है। प्रबंध के अनुसार, वर्ष 2025-26 में आदिलाबाद ज़िले में 105 स्मार्ट कक्षाएँ अनुमोदित की गई थीं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) से प्राप्त सूचना के अनुसार, जनजातीय विद्यार्थियों अर्थात छात्रों और छात्राओं को उनके अपने परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मंत्रालय तेलंगाना राज्य सहित पूरे देश में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) केंद्रीय क्षेत्र योजना को कार्यान्वित कर रहा है। ईएमआरएस में डिजिटल अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए स्मार्ट कक्षाएँ, डिजिटल बोर्ड, इंटरनेट कनेक्टिविटी युक्त कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ और एक विशेष डीटीएच टीवी की सुविधा प्रदान की गई है। वर्तमान में, तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले के ईएमआरएस सहित देश भर के ईएमआरएस में 284 स्मार्ट कक्षाएँ हैं।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी स्कूलों अर्थात केवि और नवि में डिजिटल कक्षाओं की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है, जो नए स्कूल खोलने, उच्चतर कक्षाओं को जोड़ने, निधियों की उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। केविसं और नविस द्वारा आवधिक समीक्षाओं और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित स्कूलों से प्राप्त रिपोर्टों के माध्यम से नियमित आधार पर केवि और नवि में आईसीटी अवसंरचना की निगरानी की जाती है। अभिज्ञात कमियों, जहां कहीं भी सूचित की जाती है, का संसाधनों की उपलब्धता और प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के अधीन समाधान किया जाता है। केविसं और नविस कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं में कंप्यूटर और फर्नीचर के प्रावधान, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य डिजिटल संसाधनों के प्रावधान के माध्यम से आईसीटी अवसंरचना को लगातार सुदृढ़ कर रहे हैं।
